FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0044 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/02/2025 16:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/12/1998 **Date To (दिनांक तक):** 26/02/2002
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/02/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/02/2025 16:25:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** NAGAR PALIKA KSHETRA, JHALAWAR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MULCHAND MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NATHULAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 15/12/1956 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	8 C, JHWAHAR COLONY, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	8 C, JHWAHAR COLONY, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AMAR SINGH YADAV		पिता:LALRAM YADAV	1. MANSAROVAR,MANSAROVAR, JAIPUR CITY
2	KAILASHCHAND PUSHPD		पिता:BALCHAND	1. JAWAHAR COLONY,JHALAWAR,RAJASTH
3	MAHESH HADA		पिता:KALYAN SINGH	1. 33 C,NEW MASTAR COLONY,JHALAWAR,RAJASTHAN,INDIA
4	KRISHNA SHARMA		पत्नी:JAGDISH SHARMA	1. 7-C,JAWAHAR COLONY,JHALAWAR,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		49,963.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 49,963.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 02.12.2021 को परिवादी श्री मूलचन्द मीणा व अन्य समस्त मोहल्ले वासी प्लॉट नं. 1 लगायत 8 जवाहर कॉलोनी, झालावाङ द्वारा ब्यूरो कार्यालय में एक शिकायत पेश की कि श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नि श्री जगदीशचन्द हल्दानिया का मकान प्लॉट नं. 07-सी जवाहर कॉलोनी शहर झालावाड़ में खेल संकूल के सामने स्थित है तथा श्रीमती कृष्णा शर्मा के प्लाट के सामने श्रीमती रंजना पत्नि विरेन्द्र पाटनी की खाली भूमि थी, जिसे कब्जे के आधार पर कृष्णा शर्मा ने खरीद लिया था और उस भूमि के लगवा खाली सरकारी भू-पट्टी मौजूद थी, जिसे कृष्णा शर्मा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 2015/2 गुणा 2823/2 फीट 65 रूपये प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से नगरपालिका झालावाड़ से दिनांक 23.12.1998 को स्ट्रीट ऑफ लैण्ड के हिसाब से क्रय कर कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार पुनः दिनांक 02.12.2000 को 2530/2 गुणा 2312/2 फीट 125 रूपये प्रतिवर्ग फीट से भूमि स्ट्रीट ऑफ लैण्ड के रूप में क्रय किया। इस प्रकार श्रीमती कृष्णा शर्मा ने नगरपालिका से सांठगांठ करते हुये षड़यत्र पूर्वक सरकारी भूमि को प्लॉट बताकर क्रय किया। तत्पश्चात् स्ट्रीट ऑफ लैण्ड के रूप में 2 बार भू-पट्टी पृथक-पृथक समय में क्रय की गई और इस प्रकार 3 दफा भूमि क्रय कर लम्बे चौड़े भूखण्ड का निर्माण कर लिया है, जिस खरीदशुदा आधी भूमि पर कृष्णा शर्मा ने मकान निर्माण कर लिया है। तत्पश्चात् दो बार क्रय की गई स्ट्रीट ऑफ लैण्ड पर निर्माण करने को आमदा है, जबकि उक्त भूमि सरकारी आम सड़क बस स्टेण्ड से झालरापाटन की और जाने वाली पर खेल संकुल के सामने स्थित है और शहर की बेशकीमती भूमि है, जिसका खुली नीलामी के स्थान पर नगरपालिका द्वारा कृष्णा शर्मा से मिलीभगत कर षड़यंत्र पूर्वक 3 टुकड़ों में बेचान कर दिया है और राज्य सरकार को लाखों रूपये के राजस्व हानि पहुंचाई है। उक्त सरकारी पट्टी कृष्णा शर्मा नाजायज निर्माण करने पर आमदा है, जिसे रोका जावें। फर्जी तरीके से किये गये बेचान की सम्पूर्ण जांच की जाकर नियम विरूद्ध 3 दफा किये गये आंवटन (बेचान) की जांच करवाया जाना आवश्यक है। यह कि दुबारा बेचान की गई भूमि मुख्य सड़क के मध्य से तय शुदा सीमा रेखा के अन्दर आती है। जहां निर्माण स्वीकृति भी नहीं दी जावे। क्योंकि कॉलोनी बसी तब से इस भूमि पर होकर हम लोगों का रास्ता है, जो बन्द हो जायेगा। जिससे हमेशा-हमेशा की समस्या हो जायेगी। श्रीमान से निवेदन है कि श्रीमती कृष्णा शर्मा द्वारा नियम विरूद्ध नगर पालिका से करवाये गये आंवटन को निरस्त किये जाने और मुख्य सड़क के लगवा बिना स्वीकृति किये जा रहे अवैध निर्माण को रोका जाकर सम्पूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की कृपा करें। उक्त शिकायत कार्यालय में प्राप्त होने पर परिवादी दर्ज करने की अनुशंषा के साथ कार्यालय पत्रांक 1344 दिनांक 02.12.2021 द्वारा ब्यूरो मुख्यालय जयपुर भिजवायी गयी, जिस पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा शिकायत आर.नं. 8861/2021 दिनांक 10.12.2021 दर्ज कर सम्बंधित विभाग निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 675 दिनांक 27.06.2024 से अधिकारी/कर्मजारीगण नगर पालिका झालावाङ के विरूद्ध धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत स्वीकृति प्राप्त होने पर, प्राप्त पूर्वानुमोदन स्वीकृति का ब्यूरो मुख्लाय द्वारा परीक्षणोपरान्त ब्यूरो मुख्यालय के पत्रांक 3262-63 दिनांक 11.07.2024 से प्राथमिक जांच पंजिबद्ध करने का निर्णय लिया जाकर प्राथमिक जांच संख्या 31/2024 दिनांक 22.07.2024 विरूद्ध तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रशासनिक समिति के सदस्यगण तथा अधिकारी/कर्मचारीगण, नगर पालिका झालावाङ व लाभार्थी श्रीमती कृष्णा शर्मा के विरूद्ध दर्ज होकर जांच हेतु प्राप्त हुई। उक्त प्राथमिक जांच की जांच दौरान परिवादीगण के बयान लेखबद्ध किये जाकर नगर पालिका झालावाड़ से रिकॉर्ड तलब कर नगर पालिका के अधिकारी/कर्मचारीगण से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर जांच प्रारम्भ की गई। दोनों भू-पट्टीयों से सम्बंधित स्थान का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दिनांक 20.11.2024 को नगर परिषद के अधिकारी/कर्मचारीयों की टीम गठित करवाकर मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई तो पाया गया कि दोनों भू-पट्टीयां एक ही

स्थान पर है, जिसकी गहराई उत्तर दिशा में 45 फीट, दक्षिण दिशा में 14 फीट 4 इंच तथा चौड़ाई पश्चिम दिशा में 50 फीट 2 इंच, पूर्व दिशा में 76 फीट है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1738.10 वर्गफीट है। मौके पर उत्तर दिशा में दो मंजिला मकान बना हुआ है, जिसमें भू-तल पर प्राईवेद स्कूल संचालित है तथा दक्षिण दिशा में दो दुकाने बनी हुई है, जिसमें मिल्क पार्लर संचालित है। मौके पर दोनों भू-पट्टीयों व प्लॉट नम्बर 04 पर संयुक्त रूप से निर्माण किया हुआ है। इसलिए इनका अलग-अलग माप नहीं किया गया। पट्टा धारक की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्लॉट नं. 04 जवाहर कॉलोनी झालावड़ को वर्ष 1994 में नगर पालिका झालावाड़ द्वारा श्रीमती रंजना पत्नि श्री विरेन्द्र पाटनी को आंवटन किया गया था। जिसके पश्चात् श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नि श्री जगदीश चन्द हल्दानिया ने प्लॉट नं. 04, श्रीमती रंजना पत्नि श्री विरेन्द्र पाटनी से दिनांक 07.11.1996 को क्रय कर रजिस्ट्री करवाई गई थी, जिसकी साईज 2530/2, 2845/2 – 1003 वर्गफीट है। उस भूमि के लगवा खाली सरकारी भू-पट्टी मौजूद थी, जिसे कृष्णा शर्मा द्वारा दिनांक 08.07.1998 को 2045/2 गुणा 2823/2 – 446.25 वर्गफीट सरकारी भू-पट्टी नगरपालिका झालावाड़ में आवेदन करने पर नगर पालिका की प्रशासनिक उप समिति की बैठक में दिनांक 23.12.1998 के प्रस्ताव संख्या 20 में 2015/2 गुणा 2823/2 – 446.25 वर्गफीट 65 रूपये प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से भू-पट्टी बैचान किये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी रजिस्ट्री लीजडीड 99 वर्ष के लिए दिनांक 23.01.1999 को जारी की गई थी। इसी प्रकार पुनः श्रीमती कृष्णा शर्मा द्वारा दिनांक 10.08.1999 को 2530/2 गुणा 2312/2 – 481.25 वर्गफीट सरकारी भू-पट्टी नगर पालिका झालावाड़ में आवेदन करने पर नगर पालिका की प्रशासनिक उप समिति की बैठक में दिनांक 02.12.2000 के प्रस्ताव संख्या 1(5) में दिनांक 02.12.2000 को 2530/2 गुणा 2312/2 – 481.25 वर्गफीट सरकारी भू-पट्टी 125 रूपये वर्गफीट के हिसाब से भू-पट्टी बैचान किये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी रजिस्ट्री लीजडीड 99 वर्ष के लिए दिनांक 26.02.2002 को जारी की गई। नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत 100 वर्गगज तक की भू-पट्टी बैचान किये जाने का प्रावधान है। श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नि श्री जगदीशचन्द द्वारा उसके मकान के लगवा जो भू-पट्टी खरीद की गई है, जिसकी बैचान की स्वीकृति नगर पालिका की प्रशासनिक समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ही नगर पालिका द्वारा सरकारी भू-पट्टी का बैचान कर श्रीमती कृष्णा शर्मा के नाम से पट्टे जारी किये गये है। दोनों भू-पट्टीयों का कुल क्षेत्रफल 927.5 वर्गफीट अर्थात् 103.05 वर्गगज प्राप्त हुआ है। प्लॉट नं. 04 व दोनों भू-पट्टीयों का क्षेत्रफल 1930.5 वर्गफीट है, जबकि मौके पर पट्टाधारी के प्लॉट नं. 04 व दोनों भू-पट्टीयों के क्षेत्रफल को एक साथ स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में निलाम किया जाता तो नगर पालिका को वर्ष 2000 की डीएलसी दर 150 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 49,963 रूपये अधिक प्राप्त हो सकते थे। दो बार अलग-अलग भू-पट्टी बेचने के सम्बंध में कोई प्रावंधान नहीं है, केवल नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत 100 वर्गगज तक की भू-पट्टी बैचान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारीग व अध्यक्ष नगरपालिका झालावाड़ के श्री अमर सिंह यादव अधिशाषी अधिकारी, श्री कैलाशचन्द पुष्पद भूमि शाखा लिपिक व श्री महेश हाड़ प्रशासनिक समिति अध्यक्ष द्वारा लाभार्थी श्रीमती कृष्णा से मिलिभगत कर अपने पद दुरूपयोग कर राज्य सरकार को हानि व लाभीर्थी श्रीमती कृष्णा शर्मा को अनुचित लाभ पहुंचाकर स्वयं को लाभान्वित करने के आरोप प्रमाणित पाये गये है। अतः आरोपीगण 1 श्री अमर सिंह यादव पुत्र श्री लालाराम यादव निवासी मानसरोवर, जयपुर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, झालावाड़ हास सेवानिवृत्त 2 श्री कैलाशचन्द पुष्पद पुत्र श्री बालचन्द जाति माली निवासी जवाहर कॉलोनी झालावाड़ जिला झालावाड़ तत्कालीन कनिष्ठ सहायक नगर पालिका, झालावाड़ हाल सेवानिवृत्त 3 श्री महेश हाड़ा पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नं. 33-सी न्यू मास्टर कॉलोनी झालावाड़ तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका, झालावाड़ 4 श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी श्री जगदीश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं. 7-सी जवाहर कॉलोनी झालावाड़ (लाभार्थी) के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भादस का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो, जयपुर को सादर प्रेषित है। भवदीय, (जगराम मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाङ।...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाङ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भादस में आरोपीगण 1.श्री अमर सिंह यादव पुत्र श्री लालाराम यादव जाति अहिर उम्र 75 साल निवासी मानसरोवर, जयपुर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, झालावाड़ हास सेवानिवृत्त 2.श्री कैलाशचन्द पुष्पद पुत्र श्री बालचन्द जाति माली उम्र 65 साल निवासी जवाहर कॉलोनी झालावाड़ जिला झालावाड़ तत्कालीन कनिष्ठ सहायक नगर पालिका, झालावाड़ हाल सेवानिवृत्त3.श्री महेश हाड़ा पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत उम्र 67 साल निवासी मकान नं. 33-सी न्यू मास्टर कॉलोनी झालावाड़ तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका, झालावाड़4. श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी श्री जगदीश शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 65 साल निवासी मकान नं. 7-सी जवाहर कॉलोनी झालावाड़ (लाभार्थी)के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द,उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा

आम रिपोर्ट 428 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 228-33 दिनांक 25-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- निदेशक, स्वायत्त, शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3 अधीशाषी अधिकारी, नगर पालिका झालावाड 4-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड। 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर (प्राथमिक जॉच संख्या 31/2024) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]2/2025 1[illegible]23

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1950				
2	Male	05/07/1960				
3	Male	1958				
4	Female	1960				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)